


राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

जयपुर, दिनांक : नवम्बर 18, 2016

सं. एफ. 12(83)एफडी/टैक्स/2015-01 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग के आदेश सं. एफ. 12(83)एफडी/टैक्स/2015-01 दिनांक 13.04.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राज्यपाल के आदेश से,


(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

“ सं. एफ.12(83)एफ.डी./टैक्स/2015-01

जयपुर, दिनांक : 13.04.2016

आदेश

दिनांक 11.03.2016 को यथा संशोधित, राज्य मंत्रिमण्डल आदेश सं. 30/2016 दिनांक 13.02.2016 के अनुपालन में और राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “स्कीम” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के खण्ड 8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस आदेश में यथा प्रगणित शर्तों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार, इंटीग्रेटेड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट और आयल रिफायनरी की स्थापना के लिए मैसर्स ईयाना प्रोटीन्स प्रा. लि. (जिसे इसमें इसके पश्चात् “उद्यम” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) के पक्ष में निम्नलिखित कस्टमाइज्ड पैकेज (जिसे इसमें इसके पश्चात् “पैकेज” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का, इसके द्वारा आदेश करती है, अर्थात् :-

1. पैकेज के लिए पात्रता.- उद्यम निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर पैकेज के अधीन फायदे प्राप्त करने का पात्र होगा, अर्थात् :-
 - (i) उद्यम स्कीम के अधीन यथा उपबंधित समस्त शर्तों को पूरा करेगा जिसमें पात्रता की शर्तें सम्मिलित हैं।
 - (ii) उद्यम राज्य में ग्राम निंबाडा, जिला पाली में इंटीग्रेटेड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट और आयल रिफायनरी की एक नई इकाई स्थापित करेगा; और
 - (क) 102.06 करोड़ रु. का न्यूनतम विनिधान करेगा; और

- (ख) कम से कम पांच सौ सात व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करायेगा।
- (iii) उद्यम स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगा।
- (iv) उद्यम राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम के अधीन किसी सहायकी के फायदे का दावा करने का पात्र नहीं होगा।

टिप्पण: अभिव्यक्ति "विनिधान" और "नियोजन" का वही अर्थ होगा जो रा. वि.प्रो. स्की-2014 के अधीन परिभाषित है।

2. पैकेज के अधीन फायदे :

क्र. सं.	फायदे की प्रकृति	पैकेज के अधीन फायदे
1.	छूटें	<p>(i) स्कीम के अधीन जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र के आधार पर अधिसूचना संख्यांक एफ.12(11)एफ.डी./टैक्स /2016-268 दिनांक 30.03.2016 के अधीन परियोजना में माल के विनिर्माण में विद्युत ऊर्जा के उपभोग पर 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से 50% छूट।</p> <p>(ii) स्कीम के अधीन जारी किये गये हकदारी प्रमाणपत्र के आधार पर अधिसूचना संख्यांक एफ.12(28)एफ.डी./टैक्स /2010-पार्ट-III-192 दिनांक 24.02.2015 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अधीन वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख से पूर्व, परियोजना की स्थापना के लिए राज्य के बाहर से स्थानीय क्षेत्रों में लाये गये अपेक्षित पूंजीगत माल पर प्रवेश कर के संदाय से 75% छूट।</p> <p>(iii) सात वर्ष के लिए मंडी फीस के संदाय से 100% छूट।</p>
2.	अन्य फायदे	उपर्युक्त वर्णित फायदों के सिवाय स्कीम के अधीन यथा उपबंधित अन्य फायदे उद्यम को, यदि पात्र हो तो, उपलब्ध होंगे।

3. फायदे प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.-

पैकेज के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए उद्यम, स्कीम के अधीन यथा उपबंधित सुसंगत प्ररूप (प्ररूपों) में, प्ररूप के शीर्ष पर "आदेश सं. एफ. 12 (83) एफ.डी. /टैक्स/2015-01 दिनांक 13.04.2016 द्वारा जारी कस्टमाइज्ड पैकेज के अधीन" अभिव्यक्ति वर्णित करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेगा। स्कीम के अधीन यथा उपबंधित

Handwritten signature

फायदे प्राप्त करने के लिए रीति और प्रक्रिया यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

4. **निबन्धन और शर्तें.—**

- (i) इस पैकेज के अधीन फायदे इस शर्त पर उपलब्ध होंगे कि उद्यम इंडीग्रेटेड सोलवेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट और आयल रिफायनरी की स्थापना करेगा और 102.06 करोड़ रु. का न्यूनतम विनिधान करेगा और कम से कम पांच सौ सात व्यक्तियों को नियोजन उपलब्ध करवायेगा।
- (ii) उद्यम स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगा।

5. **राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और स्कीम के उपबंधों का लागू होना.—**

- (i) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (ii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (iii) पैकेज के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, राजस्थान विनिधान प्रोन्नति स्कीम-2014 के समस्त उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

6. **पैकेज के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों को दूर करना.—** इस आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित कोई शिकायत राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम सं. 7) की धारा 3 के अधीन गठित राज्य सशक्त समिति को ही उसकी नोडल एजेन्सी के माध्यम से निर्दिष्ट की जायेगी। उक्त समिति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह०


(**डा. देवराज**)

संयुक्त शासन सचिव”

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश का असाधारण गजट के भाग 1(ख) में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी.डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री) महोदया।
3. आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।

4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, एस.ई.सी.
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
11. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. मैसर्स ईयाना प्रोटीन्स प्रा. लि., मार्फत आयुक्त, ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेन्ट प्रमोशन, राजस्थान, जयपुर।
13. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव